

अवैध खनिज परिवहन व ओव्हर लोड वाहनों पर करें कार्यवाही

राजस्व, पुलिस व संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक में कलेक्टर और एसपी ने दिए निर्देश

कटनी। माफिया के विरुद्ध कार्यवाही एवं कानून व्यवस्था के संबंध में संबंधित विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवरथी ने निर्धारित एजेण्डे की बिन्दुवार समीक्षा की। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को दिये। संयुक्त बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने 1 सितम्बर को प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सभी निकायों में कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन कराने आवश्यक कार्यवाही की जाये। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन ना करने पर कार्यवाही भी संबंधित विभागीय अधिकारी करें।



बैठक में भू-माफियाओं पर कार्यवाही, खाद्य एवं राशन की कालाबाजारी करने वालों पर कार्यवाही, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने, अवैध उत्खनन एवं परिवहन और मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत राजस्व, पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाहियों का विस्तार से रिव्यू किया गया। साथ ही तेजी से इन सभी बिन्दुओं पर त्वरित एवं सख्त कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा संबंधित अमले को दिये गये। समीक्षा बैठक में खनिज परिवहन के ओव्हर लोडिंग के मामलों में कार्यवाही सतत् रूप से कार्यवाही जारी रखने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। उन्होंने कहा कि वाहनों में ओव्हर लोडिंग के लिये गये पटरों को हटाने की कार्यवाही जारी रहे। सभी संबंधित मामलों में रेंडम और प्रभावी कार्यवाही भी अधिकारी सुनिश्चित करें। भूमि कब्जे को लेकर प्रकरणों में शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण करने के लिये कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देशित किया। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी पर भी कार्यवाही करने के निर्देश श्री मिश्रा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये। बैठक में अपर कलेक्टर रोमोनस टोपों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र केडिया सहित पुलिस, राजस्व व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

चलित मॉडल से बच्चे सीखेंगे वैज्ञानिक गतिविधियां

शासकीय हाईस्कूल खरखरी अमुवारी में स्थापित किया गया मिनी साइंस सेंटर

कटनी। जिले के शासकीय हाई स्कूल खरखरी अमुवारी के बच्चों को विज्ञान, गणित, तकनीकी व इंजीनियरिंग से जुड़े प्रश्नों के जवाब आसानी से मिल सकेंगे। स्कूल में मिनी साइंस सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें चलित मॉडलों के माध्यम से बच्चों को वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू कराने की व्यवस्था की गई है। केंद्र में विज्ञान, गणित, तकनीकी व इंजीनियरिंग के 75 चलित मॉडल स्थापित किए गए हैं, जिनसे स्कूली बच्चों को सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को सरल व सुविधाजनक बनाया जा सके। प्रत्येक मॉडल को रोचक एवं अधिनव ढंग से तैयार किया गया। छात्रों एवं शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु एक ऐसा समग्र कार्यक्रम है, जिससे छात्रों को विज्ञान और गणित की बुनियादी अवधारणा को आसानी से समझने में मदद मिल सकेगी। इस हेतु स्ट्रेम लर्निंग के प्रशिक्षक द्वारा शाला में 2 शिक्षकों व 10 विद्यार्थियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। मिनी साइंस सेंटर की स्थापना एसीसी ट्रस्ट द्वारा



स्टीम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से की गई है। मिनी साइंस सेंटर का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह व अमेहटा एसीसी प्रोजेक्ट हेड मनोज शर्मा की उपस्थिति में किया गया। आसपास के क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु चलित कंप्यूटर बस, आईटी लैब का भी जिला शिक्षा अधिकारी एवं उनकी टीम ने अवलोकन किया। प्रोजेक्ट हेड श्री शर्मा द्वारा शासकीय हाई स्कूल खरखरी अमुवारी के प्रभारी प्राचार्य को स्मार्ट क्लास हेतु एलसीडी प्रोजेक्टर व प्रोजेक्टर स्क्रीन भी प्रदान की गई।

त्यौहारों के दौरान गाइडलाइन का पालन कराएगा प्रशासन

कटनी। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के अनुपालन में अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट रोमोनस टोपों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत रखते हुये धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश शामिल किये गये हैं। जो कि सम्पूर्ण कटनी जिले के अंतर्गत प्रभावशील रहेंगे। इस आदेश के तहत प्रतिभा के लिये पण्डाल का आकार अधिकतम 30 बाई 45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं व दर्शकों की

भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। वहीं मूर्तियों का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिये अधिक 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिये आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय

धारा 144 के तहत जिला प्रशासन ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

अधिकारी राजस्व से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से विसर्जन के लिये अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाये ताकि विसर्जन स्थल पर काम पर

कम भीड़ हो। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये धार्मिक व सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिये सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पण्डालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालुओं, दर्शकों को फेसकवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।



66 व्यक्तियों पर किया गया 6600 रूपए का जुर्माना

कटनी। नगर में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं संभावित तीसरी लहर के प्रसार बचाव हेतु नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे के निर्देशन में निगम प्रशासन द्वारा जागरूकता गतिविधियों के संचालन के साथ साथ गठित अतिक्रमण अमले के माध्यम से अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों में मास्क का उपयोग न कर घूमने वालों पर निरंतर चालानी कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण निरीक्षक प्रशांत परीहा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा मिशन चौक क्षेत्र में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 66 व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग न कर सार्वजनिक स्थलों में घूमते पाये जाने पर 6600/- की चालानी कार्यवाही की जाकर घर की उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्रदान की जाकर सार्वजनिक स्थलों में मास्क का उपयोग करने की समझाईश दी गई।



राज्य खेल अकादमियों में चयन के लिये 205 प्रतिभागी शामिल

कटनी। मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमियों हेतु जिले में खिलाड़ियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रतिभा चयन के चौथे दिन सम्पूर्ण जिले से 400 बालक व बालिकाओं को आमंत्रित किया गया। जिसमें 205 बालक व बालिकाओं ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी विजय भार ने बताया कि शुरुवार को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान जिले के जिला रोजगार अधिकारी डी0के0पासी द्वारा आये हुए सभी प्रतिभागियों को अपने फि्ट्ड में अच्छी मेहनत करने, लक्ष्य बनाने, किसी भी फि्ट्ड में बेहतर प्रदर्शन ही आगे बढ़ा सकता है का संन दिया गया। इस चयन ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ी चयनित होने पर जबलपुर में संभाग स्तर पर आयोजित होने वाले द्वितीय स्तर खेल परीक्षण में सम्मिलित होंगे। यह आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। बालक व बालिकाओं का चयन शिक्षा विभाग के अनुप डोंगीवाला और शिक्षा विभाग के खेल शिक्षक व समस्त खेल प्रभारी, खेल संघ से हरीश परोह, प्रताप निषाद, ए0सी0सी0 कैमोर से अनुप श्रीवास, पहाड़ी खेल मैदान से लोहा सिंह, कन्हवारा से राजू मोर्य, योगाचार्य राजकिशोर पटेल, योग शिक्षक सुमिता मित्रा, सुशील श्रीवास, आदिमजाति कल्याण विभाग के समस्त खेल शिक्षकों के द्वारा किया गया। 4 सितम्बर 2021 को सरल क्रमांक 1301 से 1700 तक के बालक व बालिकाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षण प्रातः 7:30 बजे से किया जायेगा।



भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने ली कटनी में बैठक

कटनी। पिछली तिमाही में जीडीपी में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी, जो कि इतिहास में सबसे बड़ी है, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था हेतु अच्छे संकेत हैं। यह विचार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन ने कटनी में कार्यकर्ताओं की बैठक में व्यक्त किये। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष सीए अखिलेश जैन ने कटनी प्रवास के दौरान पार्टी कार्यालय में बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी उछाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का दूरदर्शी उपाय के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ

जीडीपी छलांग इकोनॉमी के अच्छे संकेत

जूटा का सहारा लेकर दुष्प्रचार में जुटा है जो कभी कामयाब नहीं हो पायेगा। कटनी पहुंचने पर जिलाध्यक्ष ने समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश कोषाध्यक्ष का स्वागत किया। श्री जैन ने कहा कि भाजपा ही एक मात्र ऐसा दल है जिसमें आजीवन सहयोग निधि के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है। हम श्रेय दे कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्मशताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं और इस संगठन पर्व में वर्ष भर सेवा कार्य करेंगे जैसा पार्टी ने कोरोना काल में पार्टी संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में सेवा ही संगठन-2 के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के साथ किये हैं। इस अवसर पर पूर्व महपौर शशांक श्रीवास्तव, जिला कोषाध्यक्ष प्रकाश सिंघानिया, सह कोषाध्यक्ष अर्पित अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।



चाय पिलाकर कराया लंबित मामलों का निराकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की सराहनीय पहल

कटनी। ग्राम पहाड़ी खेरा, पोस्ट बचैया, थाना बहरीबंद निवासी धनेश चौधरी पिता भजनलाल चौधरी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जागेक्षर लोधी के विरुद्ध मजदूरी राशि रुपये 57 हजार रूपए दिलाये जाने एवं भविष्य में परेशान न किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा मारपीट की एफआईआर एवं एस.सी. एस.टी. एक्ट के तहत आवेदन संबंधित थाने में किया जा चुका है। उक्त संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवेदक एवं अनावेदकगण को मीडियशन कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर उभयपक्षों की पृथक-पृथक सितिंग कार्यवाही की गयी। अनावेदक से परिचर्चा किये जाने पर उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि आवेदक को संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा कोई राशि दिया जाना शेष नहीं है। आवेदक एवं अनावेदक को मीडियेशन के माध्यम से मामले के निराकरण



के फायदे समझते हुये दोनों पक्षों को एक साथ चाय पर आमंत्रित किया गया। समझाईश उपरांत आवेदक धनेश चौधरी ने अनावेदक जागेक्षर लोधी के पैर छूकर माफी मांगते हुये मामले के सौहार्दपूर्ण निपटारा हेतु अपनी सहमति प्रदान की। उनके द्वारा राशि रुपये 57 हजार रूपए के स्थान पर केवल रुपये 15 हजार रूपए के भुगतान एवं की गयी आवेदन, एफआईआर को वापस लेने हेतु भी सहमति व्यक्त किया। जागेक्षर लोधी पिता रतिराम लोधी ने बड़प्पन दिखाते हुये आवेदक को गले लगाकर की गई एफआईआर को वापस लेने की सहमति प्रदान की। इस प्रकार जिला न्यायाधीश व सचिव दिनेश कुमार नोटिया, मनीष कोशिक, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में चाय पिलाकर दोनों पक्षों के बीच राजीनामा कराकर भविष्य में न्यायालय तक पहुंचने वाले लगभग 5-6 प्रकरणों पूरी तरह से निपटारा कराया गया।

